

प्रेषक,

श्री राम कुमार,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,  
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केंद्र-2, सरोजिनी केंद्र,  
प्रति विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 01 अक्टूबर, 2001

विषय:- सेंट मेरीज कान्वेंट स्कूल घूरपुर जलाहाबाद को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहे का निर्देश हुआ है कि सेंट मेरीज कान्वेंट स्कूल घूरपुर जलाहाबाद को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 11 विद्यालय की पंजीकृत सौसाधती का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 21 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 31 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चोंके लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 41 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बालिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केंद्रीय परिषद की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 30प्र० मा०शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

- 158 संस्था प्रौढिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उ०मा० विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की वृद्ध या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

१ राम कुमार १  
विशेष सचिव ।

पृ० सं०- 6817111/15-7-तद् दिनक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
  - 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, झाहाबाद ।
  - 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, झाहाबाद ।
  - 4- निरीक्षक, अंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
  - 5- प्रबंधक, सेंट मेरीज कान्वेंट स्कूल मुरपुर, झाहाबाद ।
  - 6- गार्ड फाइल ।

अज्ञात से,

१ अखिलेश चन्द्र गुप्ता १  
अनु सचिव ।